छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2024-2025

धान खरीदी शुभारंभ कार्यक्रम

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2024-2025

छत्तीसगढ़ शासन

विभाग	–	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
भारसाधक मंत्री	–	माननीय श्री दयालदास बघेल

सचिवालय

अपर मुख्य सचिव	–	श्रीमती ऋचा शर्मा
सचिव	–	श्री अन्बलगन पी.
संयुक्त सचिव	–	श्री गजपाल सिंह सिकरवार
संयुक्त सचिव	–	श्री राजीव कुमार जायसवाल
उप सचिव	–	श्री भागवत प्रसाद जायसवाल
उप सचिव	–	श्रीमती हेमिन बाघे
अवर सचिव	–	श्री अमितोष जॉन

विभागाध्यक्ष

संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	–	श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला
नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान	–	श्री देवेन्द्र भारद्वाज

आयोग / निगम / मंडल

अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	–	श्री गौतम चौरड़िया
अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग	–	श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा
प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन	–	श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला
प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन	–	श्री जन्मेजय महोबे

भाग – एक

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की संरचना

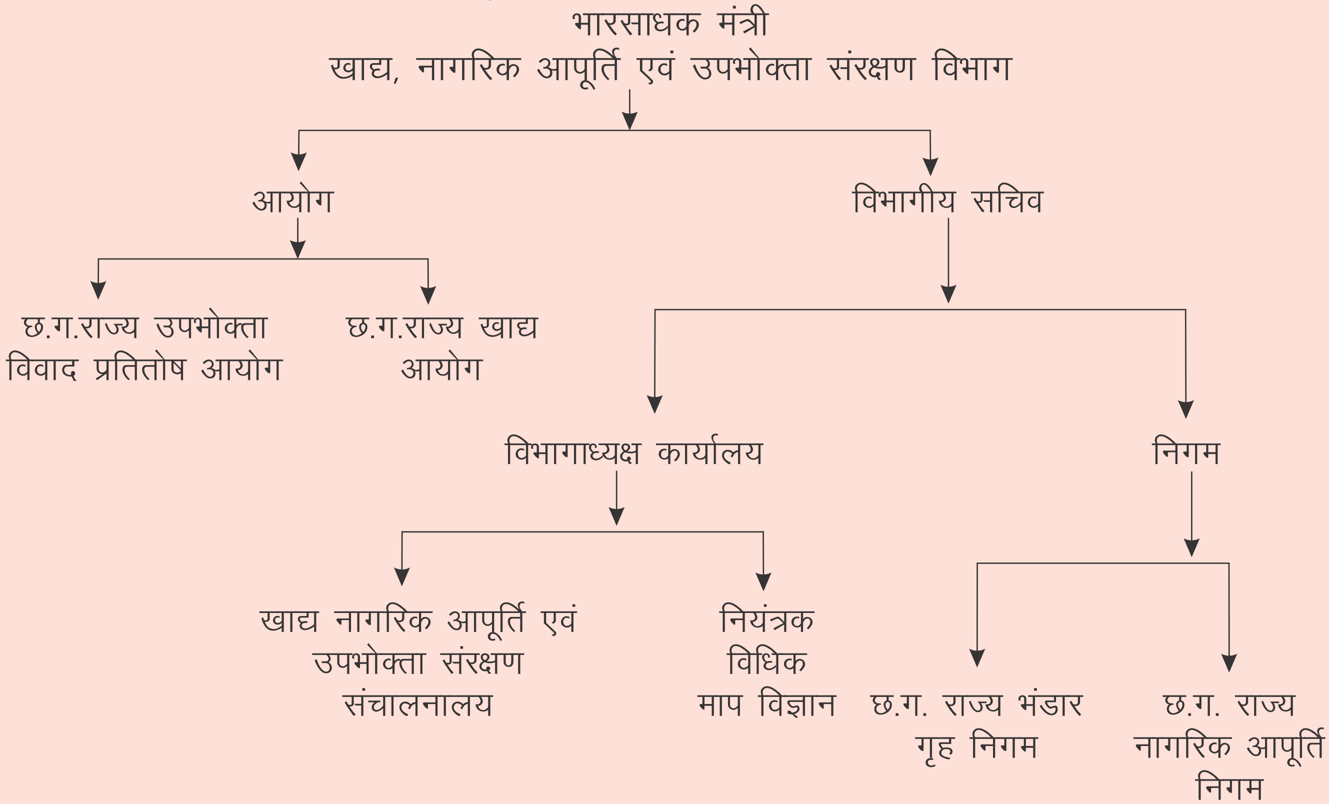

विभाग के अंतर्गत विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं आयोग/सार्वजनिक उपक्रम

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित विभागाध्यक्ष कार्यालय कार्यरत हैं :–

(1) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, संचालनालय

(2) नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान

विभागाध्यक्ष कार्यालयों की संरचना एवं इनके अधीनस्थ जिला कार्यालयों की संरचना का उल्लेख इस भाग में आगे उल्लेखित है ।

उपरोक्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों के अतिरिक्त विभाग से संबंधित निम्नलिखित आयोग/सार्वजनिक उपकम कार्यरत हैं :–

(1) छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

(2) छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग

(3) छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम

(4) छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम

विभाग से संबंधित उपरोक्त आयोग एवं निगमों की संरचना इस भाग में आगे वर्णित है ।

विभाग के दायित्व

विभाग का मूलभूत दायित्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन, आवश्यक वस्तुओं के व्यापार का जनहित में विनियमन, समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन के साथ साथ विधिक मापविज्ञान नियमों के प्रवर्तन एवं उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण–संवर्धन है। विभाग से संबंधित विभिन्न दायित्वों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 का क्रियान्वयन एवं इसमें प्रावधानित सभी पात्रताओं का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित कराना ।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का क्रियान्वयन।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न, शक्कर, नमक, चना, गुड़, केरोसिन आदि आवश्यक वस्तुएं नियत दरों पर उपलब्ध कराना ।
- खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की आम उपभोक्ताओं को सुगमता से उपलब्धता एवं प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत विभाग से संबंधित नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन ।
- घोषित समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन की व्यवस्था कराना जिससे कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।
- विधिक एवं बजट नियंत्रण संबंधी कार्य।
- राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला उपभोक्ता फोरम के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण एंव संवर्धन ।
- विधिक मापविज्ञान से संबंधित अधिनियम तथा नियमों का परिपालन ।
- व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक तथा मानव सुरक्षा में उपयोग में आने वाले उपकरणों की विशुद्धता बनाए रखना। बांट माप तथा तौल उपकरणों के सत्यापन/मुद्रांकन हेतु शिविरों का आयोजन।
- व्यापारिक संस्थानों की जांच एवं त्रुटिकर्ताओं के विरूद्ध नियमों के तहत कार्यवाही। बांट माप तथा तौल उपकरणों के निर्माता, विक्रेता एवं सुधारकों को अनुज्ञप्तियां प्रदाय करना ।
- विभाग के अंतर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन ।
- छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत विभाग की सूचीबद्ध सेवाओं का क्रियान्वयन।

विभाग से संबंधित प्रभावशील अधिनियम, नियम एवं नियंत्रण आदेश

सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता, प्रदाय तथा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी विभाग से संबंधित निम्नलिखित मुख्य अधिनियम, नियम एवं नियंत्रण आदेश छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील है –

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण –

1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

2. छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012

3. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी नियंत्रण आदेश

4. भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015

5. छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016

6. छत्तीसगढ़ केरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979

7. छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980

8. छत्तीसगढ़ चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाए रखना आदेश, 1980

9. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

10. छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बंधन) आदेश, 2009

11. केरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन एवं अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993

12. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000

13. मोटर स्पीरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005

14. छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016

15. छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम, 2016

16. छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016

17. छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पारदर्शिता और जवाबदेही) नियम, 2017

विधिक मापविज्ञान विभाग–

1. विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009
2. विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011
3. विधिक मापविज्ञान (राष्ट्रीय मानक) नियम, 2011
4. विधिक मापविज्ञान (मॉडलो का अनुमोदन) नियम, 2011
5. भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान नियम, 2011
6. विधिक मापविज्ञान (संख्यान) नियम, 2011
7. छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011
8. विधिक मापविज्ञान (साधारण) नियम, 2011

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, संचालनालय

संचालक

- **संचालनालय**
  - **अपर संचालक**
  - **संयुक्त संचालक**
  - **उप संचालक**
  - **सहायक संचालक**
  - **लिपिकीय अमला**
- **जिला कार्यालय**
  - **खाद्य नियंत्रक / खाद्य अधिकारी**
  - **सहायक खाद्य अधिकारी**
  - **खाद्य निरीक्षक**
  - **लिपिकीय अमला**

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय / जिला कार्यालयों के लिए राज्य शासन द्वारा कुल 761 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के 16 पद, द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के 33 पद, तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) कर्मचारियों के 345 पद, तृतीय श्रेणी (लिपिक) 271 एवं चतुर्थ श्रेणी के 96 पद सम्मिलित हैं ।

वर्तमान में स्वीकृत सेटअप के अनुसार संचालनालय एवं मैदानी स्तर पर स्वीकृत पदों की स्थिति निम्नानुसार है :–

संचालनालय के स्वीकृत पदों की जानकारी

क्रमांक	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	प्रथम	12
2	द्वितीय	4
3	तृतीय	44
4	चतुर्थ	10
	योग	**70**

जिला स्तर पर स्वीकृत पदों की जानकारी

क्रमांक	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	प्रथम	4
2	द्वितीय	29
3	तृतीय	572
4	चतुर्थ	86
	योग	**691**

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा

प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों के साथ सभी परिवारों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा पात्रता अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 13, सन् 2019) की अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त, 2019 को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की गई है। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार है –

अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत राशन सामग्री की पात्रता हेतु परिवारों की श्रेणियां निम्नानुसार है–

(1) अन्त्योदय परिवार, (2) प्राथमिकता परिवार (3) सामान्य परिवार

1. अन्त्योदय परिवार:–

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में अन्त्योदय परिवारों की श्रेणी में ऐसे परिवारों को सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है, जो विशेष कमजोर सामाजिक समूहों के अंतर्गत चिन्हांकित किए गए हों। विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूहों में शामिल हैं–केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित विशेष कमजोर जनजाति समूह के समस्त परिवार, ऐसे परिवार जिसके मुखिया विधवा अथवा एकाकी महिला है, मुखिया लाईलाज बीमारी से पीड़ित हैं, मुखिया निःशक्त व्यक्ति हैं, मुखिया 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के है और जिनके पास आजीविका के सुनिश्चित साधन या सामाजिक सहायता नही है, मुखिया विमुक्त बंधुवा मजदूर है और परिवारों का कोई अन्य समूह जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जावे।

2. प्राथमिकता परिवारः–

इस श्रेणी के अंतर्गत मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन उनकी पात्रता की सीमा तक समस्त परिवार खाद्य सामग्री प्राप्त करने हेतु मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार पात्र हैं। इसके अतिरिक्त भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार, सीमांत एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार, ऐसे परिवार जिसके मुखिया असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं तथा समस्त परिवार जिसके मुखिया भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, उन्हे प्राथमिकता वाले परिवार की श्रेणी में शामिल किया गया है।

3. सामान्य परिवार –

इस श्रेणी के अंतर्गत अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को छोड़कर शेष परिवार (आयकरदाता एवं गैर आयकरदाता परिवार) सामान्य राशनकार्ड के लिए पात्र परिवार होंगे।

अन्त्योदय, प्राथमिकता एवं सामान्य परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए निम्नानुसार राशन सामग्रियों की पात्रता है –

राशन सामग्री की पात्रता

क्र.	परिवार का प्रकार	खाद्य पदार्थ	मासिक पात्रता	उपभोक्ता दर
1	अन्त्योदय परिवार	चावल	35 किग्रा प्रतिमाह	निःशुल्क
		चना	2 किग्रा प्रति परिवार अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में	5 रू. प्रति किग्रा
		रिफाईन्ड आयोडाइज्ड नमक	अनुसूचित क्षेत्र में 2 किग्रा प्रति परिवार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किग्रा प्रति परिवार	निःशुल्क
2	प्राथमिकता परिवार	खाद्यान्न	1 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 10 किलोग्राम प्रतिमाह, 2 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 20 किलो प्रतिमाह, 03 से 05 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 35 किलो प्रतिमाह , 05 से अधिक सदस्य वाले राशनकार्ड में 07 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह	निःशुल्क
		चना	2 कि.ग्रा. प्रति परिवार अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में	5 रू. प्रति किग्रा
		रिफाईन्ड आयोडाइज्ड नमक	अनुसूचित क्षेत्र में 2 कि.ग्रा. प्रति परिवार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 कि.ग्रा. प्रति परिवार	निःशुल्क
3.	सामान्य परिवार	खाद्यान्न	1 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 10 कि.ग्रा. प्रतिमाह, 2 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 20 किलो प्रतिमाह, 03 या अधिक सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 35 किलो प्रतिमाह	10 रू. प्रति किग्रा

टीप–

- राज्य शासन के निर्णय अनुसार जनवरी, 2024 से दिसंबर 2028 तक समस्त अन्त्योदय तथा प्राथमिकता कार्डधारी हेतु चावल की उपभोक्ता दर निःशुल्क होगी।
- चने की पात्रता, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों तथा माडा क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त अन्त्योदय तथा प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारी परिवारों को है।
- उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को प्रति कार्ड 1 किलो शक्कर की पात्रता है।
- अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवार वाले राशनकार्डधारियों को केरोसिन की पात्रता है।
- बस्तर संभाग के जिलों में अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह 2 किलो गुड़ की पात्रता है।

विभिन्न हितग्राही समूहों की पात्रताएं –

इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न हितग्राही समूहों हेतु निम्नलिखित प्रावधान है –

1. गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क पोषण आहार ।
2. छः माह से छः वर्ष के आयु समूह के बच्चों को स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क पोषण आहार ।
3. 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों को सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों, स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में आठवीं कक्षा तक के बच्चों को शाला दिवस में निःशुल्क मध्यान्ह भोजन ।
4. आश्रम/छात्रावासों में निवासरत छात्र/छात्राओं हेतु रियायती दर पर खाद्यान्न ।
5. कुपोषित बच्चों की पहचान व उन्हें निःशुल्क उचित पोषक आहार ।
6. आपातकालीन अथवा प्राकृतिक आपदाओं की परिस्थितियों में प्रभावित व्यक्तियों हेतु छः माह तक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था ।

महिला सशक्तिकरण–

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम का एक मुख्य उद्धेश्य महिला सशक्तिकरण है । इस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) में राशनकार्ड हेतु प्रत्येक परिवार की वरिष्ठ एवं वयस्क महिला को परिवार की मुखिया माना गया है। अतः ऐसे परिवार जिनमें वयस्क महिला मुखिया नही होने की घोषणा आवेदक द्वारा की गई हैं, उन्हे छोड़कर शेष समस्त राशनकार्ड परिवार की वयस्क महिला मुखिया के नाम पर जारी किए गए हैं।

पात्रताओं का समयबद्ध क्रियान्वयन–

इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के हितग्राही परिवारों को पात्रता अनुसार सामग्री उन्हें नियत समय–सीमा में प्राप्त हो, इस हेतु सेवाओं को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

खाद्य अधिकार पुस्तिका (राशनकार्ड)

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य अधिकार पुस्तिका अथवा राशनकार्ड जारी करने हेतु पात्र अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवार के चिन्हांकन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत को अधिकार हैं ।

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम के अंतर्गत अन्त्योदय परिवारों को पीला, प्राथमिकता परिवारों को लाल, एकल निराश्रित परिवारों को स्लेटी, निःशक्तजन हितग्राही को काला एवं सामान्य परिवारों को सफेद राशनकार्ड जारी किया गया है। जनवरी, 2025 की स्थिति में प्रदेश में अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निःशक्तजन एवं सामान्य परिवारों के हितग्राहियों को कुल 80.66 लाख राशनकार्ड जारी किया गया है। योजनावार राशनकार्डो की जानकारी निम्नानुसार है —

अन्त्योदय परिवार (पीला)	प्राथमिकता परिवार (लाल)	एकल निराश्रित (स्लेटी)	निःशक्तजन (काला)	सामान्य परिवार (सफेद)	योग
1532563	5628531	32924	17054	855558	8066630

सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, के अंतर्गत जारी राशनकार्डो की जानकारी निम्नानुसार है —

1. अन्त्योदय राशनकार्ड—

भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु अन्त्योदय परिवारों की संख्या 7,18,900 निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य के विशेष कमजोर सामाजिक समूहों को अंत्योदय राशनकार्ड जारी किया गया है। जनवरी, 2025 की स्थिति में 15,32,563 अन्त्योदय राशनकार्ड प्रचलित हैं।

2. प्राथमिकता राशनकार्ड–

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भूमिहीन मजदूर, सीमांत एवं लघु कृषक, असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण मजदूर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को प्राथमिकता राशनकार्ड जारी किया गया है। जनवरी, 2025 की स्थिति में 56,28,531 प्राथमिकता राशनकार्ड प्रचलित है।

3. एकल निराश्रित राशनकार्ड–

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत निराश्रित व्यक्तियों को एकल निराश्रित (स्लेटी) राशनकार्ड जारी किया गया है। जनवरी, 2025 की स्थिति में 32,924 कुल एकल निराश्रित राशनकार्ड प्रचलित है।

4. निःशक्तजन राशनकार्ड –

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत प्रदेश में चिन्हांकित 17,054 निःशक्तजनों को राशनकार्ड जारी किया गया हैं ।

5. सामान्य राशनकार्ड–

अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के परिवारों को छोड़कर शेष परिवारों (आयकरदाता एवं गैर आयकरदाता) को सामान्य राशनकार्ड जारी किया गया है। जनवरी, 2025 की स्थिति में 8,55,558 सामान्य राशनकार्ड प्रचलित है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के आबंटन, राशन सामग्री के समयबद्ध भण्डारण एवं उचित मूल्य दुकानों में उपलब्धता बनाए रखने के साथ–साथ संपूर्ण वितरण व्यवस्था की बेहतर निगरानी के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 लागू होने के पश्चात छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय प्रदेश में 6,501 उचित मूल्य दुकानें संचालित थी किन्तु राज्य गठन के पश्चात इसके विस्तार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अधोसंरचना सुदृढ़ हुई है। वर्तमान में प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुल 13905 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं।

1. उचित मूल्य दुकानों का संचालन

उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रतिमाह नियमित रूप से खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन, चना, रिफाईन्ड आयोडाईज्ड नमक एवं गुड़ उपलब्ध कराया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारु रूप से संचालन हेतु आवश्यक है कि उचित मूल्य दुकानों का संचालन बेहतर, कार्यकुशल तथा राशनकार्डधारियों के हितों का ध्यान रखने वाली एजेंसियों द्वारा किया जाए ।

राज्य में जनवरी, 2025 की स्थिति में 13,905 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं, जिनका जिलेवार एवं एजेंसीवार विवरण निम्नानुसार हैं–

राज्य में संचालित उचित मूल्य दुकानों की संख्या

क्र	जिला का नाम	सहकारी समिति	महिला स्वसहायता समूह	ग्राम पंचायत	वन सुरक्षा समिति	नगरीय निकाय	योग
1	बस्तर	108	137	236	4	0	485
2	बीजापुर	16	68	131	0	0	215
3	दन्तेवाड़ा	77	30	61	0	0	168
4	कांकेर	89	162	231	10	0	492
5	कोंडागांव	58	101	235	17	0	411
6	नारायणपुर	20	11	82	1	0	114
7	सुकमा	47	33	123	2	0	205
8	बिलासपुर	256	277	152	3	0	688
9	गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही	19	167	18	3	0	207
10	जांजगीर-चांपा	143	206	45	0	5	399
11	कोरबा	154	236	160	3	0	553
12	मुंगेली	62	262	72	1	0	397
13	रायगढ़	100	278	283	1	0	662
14	बालोद	150	160	147	19	0	476
15	बेमेतरा	140	274	46	0	0	460
16	दुर्ग	306	287	64	0	1	658
17	कवर्धा	199	236	75	2	0	512
18	राजनांदगांव	143	296	54	3	0	496
19	बलौदाबाजार	279	242	49	0	0	570
20	धमतरी	310	138	24	0	0	472
21	गरियाबंद	275	44	39	0	0	358
22	महासमुंद	435	144	13	1	0	593
23	रायपुर	540	76	81	0	0	697
24	बलरामपुर	58	175	232	12	0	477
25	जशपुर	8	54	423	0	9	494
26	कोरिया	16	101	52	2	0	171
27	सरगुजा	223	202	85	7	1	518
28	सुरजपुर	144	229	156	3	0	532
29	खैरागढ़-छुईखदान	91	114	35	0	0	240
30	मोहला-मानपुर	33	131	30	0	0	194
31	सक्ती	49	246	54	0	0	349
32	सारंगढ़-बिलाईगढ	34	268	86	2	0	390
33	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी	38	113	96	5	0	252
	कुल	**4620**	**5498**	**3670**	**101**	**16**	**13905**

2. राशन सामग्री की पात्रता

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2024–25 में राज्य के लिए 1,15,338 टन प्रतिमाह चावल का आबंटन जारी किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त मासिक आबंटन में से 25,165 टन चावल अन्त्योदय परिवारों तथा शेष 90,173 टन चावल प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए जारी किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त आबंटित चावल का केन्द्रीय निर्गम मूल्य तथा नियमित उपभोक्ता दर 3 रूपये प्रतिकिलो निर्धारित है। किन्तु जनवरी 2023 से आगामी 05 वर्षों तक उपरोक्त उपभोक्ता दर निःशुल्क किये जाने की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है।

राशनकार्डधारियों के लिए राशन सामग्री की निम्नानुसार पात्रता एवं दर निर्धारित की गई है –

क्र.	योजना का नाम	योजनावार राशनकार्डों में खाद्यान्न की नियमित पात्रता एवं दर					
		खाद्यान्न	शक्कर	रिफाईन्ड आयोडाईज्ड अमृत नमक	केरोसिन	चना	गुड़
1	01 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	10 किलो, प्रतिकार्ड प्रतिमाह निःशुल्क	प्रति राशनकार्ड 1 किलोग्राम 17.00 रू. प्रतिकिलो की दर से	अनुसूचित क्षेत्र में 2किग्रा प्रति परिवार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किग्रा प्रति परिवार निःशुल्क	**नगरीय क्षेत्र में** अधिकतम – 02 लीटर **ग्रामीण क्षेत्र में** गैर अनुसूचित क्षेत्रों में **अधिकतम**– 2 लीटर तथा अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम 3 लीटर प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह **न्यूनतम** 60रू. एवं अधिकतम 70 रू. प्रति लीटर की दर से प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह	अनुसूचित विकासखण्ड एवं माडा क्षेत्र के हितग्राहियों को प्रतिमाह 02 किलो 5 रू. प्रतिकिलो की दर से	बस्तर संभाग के जिलों में प्रतिमाह 2 किलो गुड़ 17 रूपए प्रति किलो की दर से
	02 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	20 किलो,प्रतिकार्ड प्रतिमाह निःशुल्क					
	03 से 05 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	35 किलो प्रतिकार्ड प्रतिमाह निःशुल्क					
	05 से अधिक सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड	07 किलो प्रतिकार्ड प्रतिमाह निःशुल्क					
2	अन्त्योदय राशनकार्ड	35 किलो, प्रतिकार्ड प्रतिमाह निःशुल्क					
3.	एकल निराश्रित राशनकार्ड	10 किलो प्रतिकार्ड प्रतिमाह निःशुल्क	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4.	निःशक्तजन राशनकार्ड	10 किलो प्रतिकार्ड प्रतिमाह निःशुल्क					
5	01 सदस्य वाले सामान्य राशनकार्ड	10 किलो चावल 10 रूपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह					
	02 सदस्य वाले सामान्य राशनकार्ड	20 किलो चावल 10 रूपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह					
	03 या अधिक सदस्य वाले सामान्य राशनकार्ड	35 किलो चावल 10 रूपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह					

टीप – सभी अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को अप्रैल 2022 से निःशुल्क चावल वितरण किया जा रहा है । इन्हें दिसंबर 2028 तक मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क प्रदाय किया जावेगा।

3. राशन सामग्री की प्रदाय व्यवस्था

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के 13 बेस डिपो संचालित हैं। राज्य शासन की अधिकृत एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो से गेहूं एवं स्वयं के उपार्जन केन्द्रों से विकेन्द्रीकृत योजनांतर्गत उपार्जित चावल एवं चना, नमक, शक्कर, गुड़ का उठाव कर प्रदाय केन्द्रों से उचित मूल्य दुकानों को वितरण हेतु उपलब्ध कराया जाता है । छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के द्वारा राज्य में संचालित प्रदाय केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार हैं–

क्र.	जिला	संख्या	प्रदाय केन्द्रों के स्थान
1	बस्तर	4	जगदलपुर, करपावंड, बस्तर (घाटलोहंगा), केशलूर
2	बीजापुर	4	बीजापुर, भोपालपटनम, भैरमगढ़, उसूर (आवापल्ली)
3	दंतेवाड़ा	3	दंतेवाड़ा, गीदम, कुआकोण्डा
4	कांकेर	7	आमाबेड़ा, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, चारामा, कांकेर, नरहरपुर, पंखाजूर,
5	कोण्डागाँव	4	केशकाल, कोण्डागाँव, बड़ेडोंगर, माकड़ी
6	नारायणपुर	1	नारायणपुर
7	सुकमा	3	सुकमा, कोंटा, दोरनापाल
8	बिलासपुर	6	बिलासपुर, करगीरोड, बिल्हा, सैदा, तखतपुर, जयरामनगर
9	गौरला पैण्ड्रा मरवाही	2	पैण्ड्रारोड, मरवाही
10	जांजगीर	3	चांपा, अकलतरा, नैला,
11	कोरबा	3	कटघोरा, कोरबा, पाली
12	मुंगेली	5	लोरमी, बरेला(मुंगेली), धपई, गितपुरी, सरगांव
13	रायगढ़	5	रायगढ़, धरमजयगढ़, घरघोड़ा, खरसिया, लैलूंगा
14	बालोद	5	डौंडीलोहारा, डौन्डी, बालोद, गुण्डरदेही, चिटौद
15	बेमेतरा	3	बेमेतरा, साजा, बेरला
16	दुर्ग	5	दुर्ग, पाटन, कोडिया, हथखोज, बोरई
17	कवर्धा	4	कवर्धा, पण्डरिया, बोडला, हथलेवा (चारभाठा)
18	राजनांदगॉव	5	राजनांदगांव, डोगरगढ़, छुरिया, तिलई, डोंगरगांव
19	बलौदाबाजार	4	कसडोल, अर्जुनी, भाटापारा, बलौदाबाजार
20	धमतरी	3	धमतरी, कुरूद, नगरी–सिहावा
21	गरियाबंद	4	गरियाबंद, देवभोग, राजिम, मैनपुर
22	महासमुंद	5	महासमुंद, बागबाहरा, बसना, सरायपाली, पिथौरा,
23	रायपुर	7	अभनपुर, आरंग, खरोरा, धरसींवा, नेवरा, रायपुर, नयापारा, मंदिरहसौद
24	बलरामपुर	5	कुसमी, रामानुजगंज, वाड्रफनगर, राजपुर, सनावल
25	जशपुर	5	जशपुर, बगीचा, कुनकुरी, पत्थलगांव, फरसाबहार
26	कोरिया	1	बैकुण्ठपुर
27	सरगुजा	3	अंबिकापुर, सीतापुर, लखनपुर
28	सूरजपुर	3	सूरजपुर, विश्रामपुर, प्रतापपुर
29	सक्ती	5	सक्ती, बाराद्वार, चंद्रपुर, बोड़ासागर, डभरा
30	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	3	जनकपुर, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़
31	सारंगढ़–बिलाईगढ़	3	बरमकेला, सारंगढ़, बिलाईगढ़
32	खैरागढ़–छुईखदान–गंड़ई	1	खैरागढ़
33	मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी	3	मोहला, मानपुर, चौकी
योग		127	

विभागीय योजनाएं

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम–

राज्य के सभी नागरिको को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय एवं राज्य अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है। उपरोक्त दोनो अधिनियम के अंतर्गत दिसंबर 2024 की स्थिति में 79,33,860 राशनकार्ड जारी किये गये है। राज्य को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रतिमाह केन्द्र शासन से 1,15,338 मेट्रिक टन चावल का आबंटन प्राप्त हो रहा है एवं राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अतिरिक्त राशनकार्डों हेतु चावल की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान माह अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक खाद्यान्न के आबंटन एवं उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :–

(मात्रा मेट्रिक टन में)

विवरण	चावल	
	आबंटन	उठाव
केन्द्रीय पूल	10,37,995	10,05,535
राज्य पूल	12,36,825	11,47,419
योग	**22,74,820**	**21,52,954**

(ख) अन्त्योदय अन्न योजना–

यह योजना अति गरीब परिवारों के लिये मार्च, 2001 से लागू की गई है । इस योजना के अंतर्गत अति गरीब परिवारों को 1.00 रूपए प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति परिवार, प्रतिमाह प्रदाय किए जाने का प्रावधान है लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत समस्त अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों को निःशुल्क चावल प्रदाय किया जा रहा है। राज्य को योजनांतर्गत प्रतिमाह 7,18,979 हितग्राहियों हेतु केन्द्र शासन से 25,165 मेट्रिक टन चावल का स्थायी आबंटन प्राप्त हो रहा है एवं राज्य द्वारा अतिरिक्त जारी अन्त्योदय राशनकार्डों हेतु चावल की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। वर्तमान में योजनांतर्गत 15.11 लाख राशनकार्ड प्रचलित है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक अन्त्योदय अन्न योजना हेतु आबंटित चावल एवं उठाव की जानकारी निम्नानुसार है –

(मात्रा मेट्रिक टन में)

विवरण	चावल	
	आबंटन	उठाव
केन्द्रीय पूल	2,26,470	2,10,811
राज्य पूल	2,46,734	2,33,313
योग	**4,73,204**	**4,44,124**

(ग) छात्रावासों एवं कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान्न प्रदाय

इस योजना के अंतर्गत राज्य के छात्रावासों एवं कल्याणकारी संस्थाओं में निवासरत हितग्राहियों को बी.पी.एल दर पर 15 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह की पात्रता है। वर्ष 2019–20 से भारत सरकार द्वारा केवल शासकीय एवं शासकीय स्वामित्व वाले छात्रावास एवं कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान्न आबंटन जारी किया जा रहा है। राज्य के अनुदान प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त आश्रम/छात्रावास एवं कल्याणकारी संस्थाओं को राज्य शासन द्वारा खाद्यान्न आबंटन दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक आबंटित खाद्यान्न एवं उठाव की जानकारी निम्नानुसार है –

(मात्रा मेट्रिक टन में)

चावल	
आबंटन	उठाव
42,521	37,926

(घ) शक्कर

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य शासन द्वारा प्रति राशनकार्ड 1.00 किलो शक्कर की पात्रता तय की गई है। राज्य में प्रतिमाह औसतन 7,024 मेट्रिक टन शक्कर का आबंटन जारी किया जा रहा है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक शक्कर के आबंटन एवं उठाव की जानकारी निम्नानुसार है –

(मात्रा मेट्रिक टन में)

आबंटन	उठाव
61,746	56,648

(ड.) केरोसिन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डो के लिए भारत सरकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रतिमाह औसत 552 किलोलीटर केरोसिन का आबंटन प्राप्त हो रहा है। राशनकार्डो में केरोसिन की मासिक पात्रता शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 1 लीटर, गैर अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 2 लीटर तथा अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 2 लीटर प्रति कार्ड निर्धारित की गई है ।

राज्य में केरोसिन का वितरण थोक केरोसिन डीलर्स, लीड समितियों, उचित मूल्य दुकानों, एवं हॉकर्स के माध्यम से किया जा रहा है । प्रदेश में 41 थोक केरोसिन डीलरों के माध्यम से 13,905 उचित मूल्य दुकानों के द्वारा उपभोक्ताओं को केरोसिन वितरित कराया जा रहा है ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक केरोसिन के आबंटन एवं उठाव की जानकारी निम्नानुसार हैः–

(मात्रा मेट्रिक टन में)

आबंटन	उठाव
7680	2844

केन्द्र प्रवर्तित राज्य योजनाएं
केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं

(क) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत राज्य को प्रतिमाह 1,15,338 टन चावल का निःशुल्क आबंटन जनवरी 2024 से जारी किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2028 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल राज्य के 2 करोड़ हितग्राहियों को निःशुल्क चावल का वितरण किया जावेगा। इस योजना के अंतर्गत अन्त्योदय परिवार को प्रतिमाह 35 किलो निःशुल्क चावल तथा प्राथमिकता परिवार को 5 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह निःशुल्क चावल की पात्रता है।

(ख) वन नेशन वन राशनकार्ड योजना

भारत सरकार की वन नेशन वन राशनकार्ड योजना का उद्देश्य आधार प्रमाणीकरण के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों को अन्य राज्य में प्रवास के दौरान उचित मूल्य दुकान के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण सुनिश्चित करना है। यह योजना राज्य में फरवरी 2022 से प्रारंभ की गई तथा वर्तमान में राज्य में आनलाईन संचालित सभी उचित मूल्य दुकानों में क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) फोर्टिफाईड राईस वितरण योजना

यह केन्द्र क्षेत्रीय योजना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना एवं पूरक पोषण आहार योजना के हितग्राहियों में एनीमिया एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पोषक तत्वों से युक्त (आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन–बी 12) फोर्टिफाईड चावल के वितरण का शुभारंभ कोण्डागांव जिले में 01 नवंबर 2020 से किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 से प्रदेश के समस्त जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को फोर्टिफाईड चावल का वितरण किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों के अतिरिक्त मध्यान्ह भोजन योजना एवं पूरक पोषण आहार योजना के अंतर्गत भी फोर्टिफाईड चावल का प्रदाय किया जा रहा है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक फोर्टिफाईड चावल के आबंटन एवं उठाव की जानकारी निम्नानुसार हैः–

(मात्रा मेट्रिक टन में)

आबंटन	उठाव
20,46,024	19,85,898

राज्य योजनाएं

(1) सार्वभौम पीडीएस (Universal PDS)–

राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु 02 अक्टूबर 2019 से सार्वभौम पीडीएस प्रारंभ किया गया है। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत प्राथमिकता राशनकार्डो की खाद्यान्न पात्रता 1 सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 2 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किलो, 3 से 5 सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो तथा 5 से अधिक सदस्य वाले परिवार के लिए 7 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह चावल 1 रुपए प्रति किलो निर्धारित की गई है।

सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य राशनकार्डो में खाद्यान्न की पात्रता–1 सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 2 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किलो, 3 या 03 से अधिक सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो खाद्यान्न 10 रूपये प्रतिकिलो प्रतिमाह निर्धारित की गई है। जनवरी 2025 की स्थिति में 8.55 लाख सामान्य राशनकार्ड जारी किया गया है तथा सामान्य राशनकार्डधारी परिवारों को पात्रता अनुसार खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है।

(2) रिफाईन्ड आयोडाईज्ड अमृत नमक वितरण योजना–

इस योजना में राज्य के अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को अनुसूचित क्षेत्र में निःशुल्क प्रतिमाह 02 किलो एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में निःशुल्क प्रतिमाह 1 किलो रिफाईन्ड आयोडाईज्ड नमक प्रति कार्ड वितरित किये जाने का प्रावधान है। रिफाईन्ड आयोडाईज्ड नमक वितरण में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जिसका भुगतान वितरण एजेंसी, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को किया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में राशि रूपये 139 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक अमृत नमक के उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :–

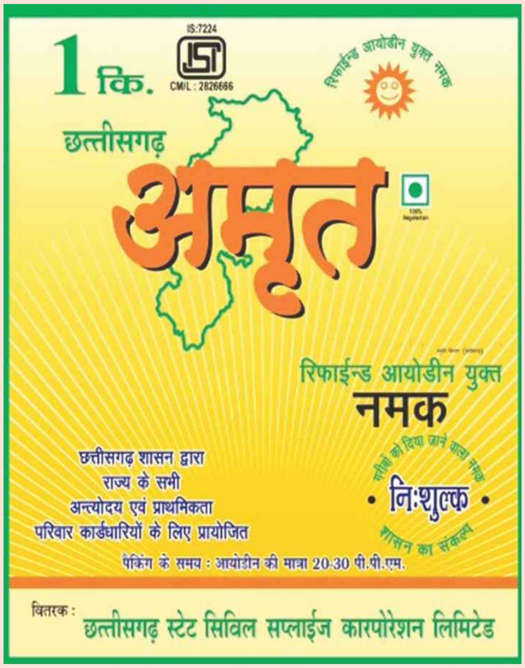

(मात्रा मेट्रिक टन में)

आबंटन	उठाव
86,475	76,969

(3) चना वितरण योजना

जनवरी 2013 से राज्य के सभी अनुसूचित विकासखण्डों तथा 1 फरवरी 2019 से माडा क्षेत्र के समस्त अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह 2 किलो चना 5 रूपए प्रति किलो के मान से प्रदाय किया जा रहा है ।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में राशि रूपए 400 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक चना के उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :–

(मात्रा मेट्रिक टन में)

आबंटन	उठाव
53,392	39,150

4) मधुर गुड़ वितरण योजना

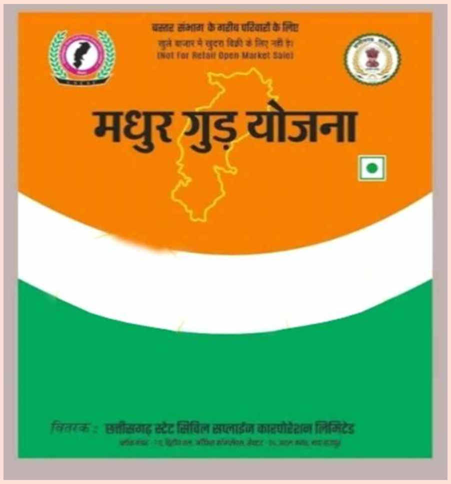

बस्तर संभाग के जिलों में आयरन की कमी दूर करने के लिए अंत्योदय, प्राथमिकता एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्डधारियों को जनवरी 2020 से प्रतिमाह 2 किलो गुड़ 17 रूपए प्रति किलो की उपभोक्ता दर पर प्रदाय किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2024–25 में 81 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक गुड़ के उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :–

(मात्रा मेट्रिक टन में)

आबंटन	उठाव
13,271	9,866

5) नियद नेल्लानार योजना –

बस्तर संभाग के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित होने वाले नये कैंपों के आस–पास के ग्रामों का चयन कर शतप्रतिशत परिवारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु नियद नेल्लानार योजना (आपका आदर्श गांव योजना) प्रारंभ किया गया है। इस योजना में बस्तर संभाग के 5 जिले (दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कांकेर एवं नारायणपुर) शामिल है। इन जिलों के अंतर्गत कैंपों के आस–पास के 98 ग्रामों के सभी परिवारों को खाद्य विभाग की योजनाओं का सैचुरेशन करते हुए लाभान्वित किया जा रहा है। नियद नेल्लानार योजना में शामिल ग्रामों के 10,443 राशनकार्डधारी परिवारों को प्रतिमाह निर्धारित मासिक पात्रता अनुसार चावल, चना, शक्कर, गुड़ एवं नमक का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। 1339 परिवारों को निःशुल्क गैस सिलेण्डर प्रदाय किया जा रहा है।

क्र.	जिला	SECC परिवार	कुल ग्रामों की संख्या	कुल कैम्पों की संख्या	राशन कार्ड की संख्या	उज्जवला कनेक्शनधारी परिवार
1	बीजापुर	1943	33	8	4607	170
2	सुकमा	2194	32	9	2913	86
3	नारायणपुर	346	20	4	611	4
4	कांकेर	358	7	2	579	306
5	दंतेवाड़ा	1174	6	2	1733	773
योग		**6015**	**98**	**25**	**10443**	**1339**

टीपः– नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत जिला दंतेवाड़ा में खाद्यान्न वितरण

6) पहुंचविहीन क्षेत्रों में राशन सामग्री का अग्रिम भंडारण

प्रदेश के ऐसे स्थानों, जहां वर्षा ऋतु के दौरान आवागमन मार्ग अवरूद्ध हो जाते हैं वहां खाद्यान्न, शक्कर, अमृत नमक तथा केरोसिन उपभोक्ताओं को सुलभ उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्षा ऋतु के पूर्व अग्रिम भण्डारण किया जाता हैं। शासन द्वारा उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेंसी को ऐसे क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं चार माह के लिए संग्रहित करने हेतु बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

वर्ष 2024–25 में 184 पहुंचविहीन केन्द्रों में राशन सामग्री का अग्रिम भण्डारण कराया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं नियंत्रण संबंधी कार्यवाही

राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के आबंटन एवं उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय तथा हितग्राहियों को राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :–

(क) पीडीएस–ऑनलाईन व्यवस्था (सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का कार्य वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया एवं वर्ष 2008 तक सभी योजनाओं के राशनकार्ड डेटाबेस तैयार करने के साथ–साथ राज्य स्तर से लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के प्रदाय केन्द्रों तक के समस्त क्रियाकलाप का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु सभी जिला खाद्य कार्यालयों को इंटरनेट के माध्यम से राज्य मुख्यालय से जोड़ा गया है। राशन सामग्री के आबंटन हेतु राज्य की समस्त उचित मूल्य दुकानों का डेटाबेस तैयार किया गया एवं उनसे संलग्न राशनकार्डों के आधार पर जनवरी, 2008 से कम्प्यूटर के माध्यम से खाद्य संचालनालय द्वारा दुकानवार राशन सामग्री का आबंटन जारी किया जा रहा है। इस हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के सभी 127 प्रदाय केन्द्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार राज्य मुख्यालय से लेकर लगभग राज्य के तहसील स्तर तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन सामग्री के आबंटन, प्रदाय की प्रक्रिया आनलाईन है। कस्टम मिल्ड चावल का उपार्जन भी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा आनलाईन किया जा रहा है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण से यह व्यवस्था पूर्व की तुलना में अधिक पारदर्शी एवं कार्यक्षम हुई है तथा इसकी मानिटरिंग में आशानुरूप सुधार हुआ है ।

राज्य में पीडीएस के उचित मूल्य दुकानों का कम्प्यूटरीकरण ई–पॉस उपकरण के माध्यम से किया जा रहा है। आधार प्रमाणीकरण के जरिए राशन सामग्री के वितरण हेतु प्रदेश में संचालित 13,905 उचित मूल्य दुकानों में ई–पॉस उपकरण स्थापित किया जा चुका है।

उचित मूल्य दुकान स्तर तक कम्प्यूटरीकरण से राशनकार्डधारियों को सुविधानुसार अपनी पसंद की उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हुई है तथा इस व्यवस्था से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक सुदृढ़ होने के साथ–साथ इसमें पारदर्शिता बढ़ी है।

(ख) राशनकार्डों में मुखिया एवं सदस्यों के आधार नंबर की सीडिंग

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण (Authentication) आधारित राशन सामग्री के वितरण व्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्डों में मुखिया एवं सदस्यों के आधार नंबर प्राप्त कर राशनकार्ड डेटाबेस में सीडिंग की कार्यवाही की जा रही है। राज्य में प्रचलित 80.66 लाख राशनकार्डों में कुल सदस्य 2.72 करोड़ हैं, जिनमें से 2.71 करोड़ सदस्यों के आधार नंबर राशनकार्ड डेटाबेस में दर्ज किए जा चुके हैं। वर्तमान में प्रचलित राशनकार्डो में से 80.50 लाख राशनकार्डो में कम से कम 1 सदस्य की आधार सीडिंग की जा चुकी है।

(ग) चावल उत्सव

राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण की नियमित निगरानी के लिए माह फरवरी, 2008 से चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है। चावल उत्सव के लिए जिन गांवों में उचित मूल्य दुकान संचालित है तथा वहां साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है, वहां प्रत्येक माह की 06 तारीख के बाद लगने वाले प्रथम हाट बाजार के दिन चावल उत्सव का आयोजन किया जावेगा तथा शेष उचित मूल्य दुकानों में प्रत्येक माह की 07 तारीख को चावल उत्सव आयोजित किए जाने के निर्देश है।

इसकी सूचना राशनकार्डधारियों को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था की गई है। चावल उत्सव के दौरान कलेक्टर द्वारा नियुक्त नोडल आफिसर एवं उचित मूल्य दुकान की निगरानी समिति के समक्ष राशनकार्डधारियों को राशन सामग्री का वितरण कराया जा रहा है । इस उत्सव के आयोजन से निर्धारित तिथि पर राशनकार्डधारी द्वारा राशन सामग्री प्राप्त की जा सकती है ।

(घ) कॉल सेन्टर

राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्याप्त व्यवस्था की गई है। खाद्य विभाग द्वारा जनवरी, 2008 से संचालित किए जा रहे कॉल सेंटर का दूरभाष क्रमांक 1800–233–3663 एवं 1967 है और यह एक टोल फ्री (निःशुल्क) फोन लाईन है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

कॉलसेंटर में अनेक उपभोक्ताओं द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित जानकारी प्राप्त किए जाने के साथ–साथ जनवरी, 2025 तक कुल 44,601 शिकायते दर्ज कराई गई है। प्राप्त शिकायतों में से 42,436 शिकायते निराकृत की जा चुकी है।

टोल फ्री नम्बर -1800-233-3663 & 1967

(ड.) जनभागीदारी वेबसाईट

जनभागीदारी वेबसाईट राज्य शासन का अभिनव प्रयोग है । इस वेबसाईट का पता https://khadya.cg.nic.in/citizen है ।

कोई भी नागरिक इस वेबसाईट में अपना निःशुल्क पंजीयन करा सकता है। पंजीयन कराने के बाद नागरिकों को ई–मेल के माध्यम से खाद्य विभाग से संबंधित शिकायत एवं सुझाव भेजने की सुविधा उपलब्ध हो जावेगी। इस पंजीयन के बाद नागरिकों द्वारा एस.एम.एस. के माध्यम से राशन दुकान की जानकारी हेतु पंजीयन किया जा सकता है। एस.एम.एस. सुविधा के लिए पंजीयन में दर्ज किए गए मोबाईल नंबर अथवा ई–मेल आईडी पर छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के प्रदाय केन्द्र से संबंधित राशन दुकान को राशन प्रदाय हेतु ट्रक चालान कम्प्यूटर पर जारी करते ही राशन की मात्रा एवं ट्रक क्रमांक की जानकारी के साथ–साथ प्रदाय तिथि एवं समय की जानकारी एस.एम.एस. अथवा ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध हो जावेगी। अपने मोबाईल नंबर पर राशन प्रदाय की जानकारी प्राप्त होते ही नागरिक द्वारा संबंधित राशन दुकान में जाकर राशन सामग्री के पहुंचने की पुष्टि भी की जा सकती है। उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न भंडारण के एस.एम.एस. प्राप्त करने हेतु 98,531 मोबाईल नंबर पंजीकृत हुए है। इन पंजीकृत मोबाईल नंबरों पर जनवरी, 2025 तक 4.14 करोड़ एस.एम.एस. भेजे गये है।

आवश्यक वस्तुओं के व्यापार का विनियमन

विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जारी विभिन्न नियंत्रण आदेशों के माध्यम से निर्धारित आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं प्रदाय व्यवस्था का विनियमन किया जाता है ।

(क) छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बंधन) आदेश, 2009

चावल, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, शक्कर एवं प्याज की जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर नियंत्रण तथा इन आवश्यक वस्तुओं की प्रदेश में उपलब्धता तथा प्रदाय व्यवस्था में सुगमता बनाये रखने हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बंधन) आदेश, 2009 को माह अगस्त, 2009 से राज्य में प्रभावशील किया गया है। इस आदेश के अंतर्गत भारत शासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं के संग्रहण की अधिकतम सीमा निर्धारण के आधार पर राज्य में आवश्यक वस्तुओं के संग्रहण की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकती है।

(ख) आवश्यक वस्तुओं की मूल्य निगरानी व्यवस्था

खाद्य संचालनालय द्वारा प्रतिदिन 22 आवश्यक वस्तुओं के खुदरा एवं थोक मूल्यों की निगरानी के लिए प्राईस मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है। संचालनालय के अतिरिक्त राज्य के 09 जिलों रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव, बस्तर, दंतेवाड़ा एवं कोरिया में भी प्राईस मॉनिटरिंग सेल संचालित किये जा रहे हैं। इन जिलों द्वारा प्रतिदिन 22 आवश्यक वस्तुओं के खुदरा एवं थोक मूल्यों की जानकारी प्रतिदिन उपभोक्ता मंत्रालय भारत शासन को प्रेषित की जाती है। संचालनालय स्तर पर इन आवश्यक वस्तुओं के मूल्य की निगरानी की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य निम्नानुसार रहे–

खुदरा मूल्य

(रूपये / प्रति किलो)

क्र.	आवश्यक वस्तु	माह अप्रैल 2024	माह जनवरी 2025	मूल्य में प्रतिशत वृद्धि / कमी
1	चावल	38	32	-15.79
2	गेहूं	44	27	-38.64
3	आटा (गेहूं)	42	39	-7.14
4	चना दाल	88	110	25
5	अरहर दाल	143	156	9.09
6	उड़द दाल	130	116	-10.77
7	मूंगदाल	113	115	1.77
8	मसूर दाल	93	101	8.60
9	मुंगफली तेल	198	204	3.03
10	सरसों तेल	135	164	21.48
11	वनस्पति	133	140	5.26
12	सोया तेल	118	132	11.86
13	सूरजमूखी तेल	133	143	7.52
14	पॉम ऑयल	105	105	0
15	आलू	28	45	60.71
16	प्याज	30	51	70
17	टमाटर	34	21	-38.24
18	शक्कर	45	43	-4.44
19	गुड़	48	53	10.42
20	दूध	55	56	1.82
21	चायपत्ती	247	245	-0.81
22	नमक ऑयोडाईज्ड	27	21	-22.22

(ग) पेट्रोलियम पदार्थों की प्रदाय व्यवस्था

प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों के प्रदाय हेतु ऑयल कंपनियों के 3 डिपो संचालित है। पेट्रोलियम पदार्थों का वितरण 2,200 पेट्रोल एवं डीजल पम्पों, 41 थोक केरोसिन विक्रेताओं तथा 521 एल.पी.जी. वितरकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कराया जा रहा है ।

जनवरी, 2025 की स्थिति में राज्य में कार्यरत पेट्रोल पंप, केरोसिन थोक डीलर एवं गैस एजेंसियों की जिलेवार संख्या निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला	पेट्रोल/ डीजल पंप की संख्या	एल. पी. जी. डीलर की संख्या	थोक केरोसिन डीलर की संख्या
1	बस्तर	46	14	4
2	बीजापुर	8	8	0
3	दंतेवाड़ा	15	9	0
4	कांकेर	48	19	1
5	कोण्डागांव	32	14	0
6	नारायणपुर	8	3	0
7	सुकमा	10	7	0
8	बिलासपुर	143	40	2
9	गौरेला–पेण्ड्रा	16	8	0
10	जांजगीर–चांपा	102	19	4
11	कोरबा	96	28	1
12	मुंगेली	37	9	1
13	रायगढ़	137	31	5
14	सक्ती	51	13	0
15	सारंगढ़–बिलाईगढ़	32	10	0
16	बालोद	69	11	2
17	बेमेतरा	74	16	1
18	दुर्ग	177	31	3
19	कवर्धा	53	12	1
20	राजनांदगांव	110	15	3
21	खैरागढ़ छुईखदान	28	6	0
22	मोहला मानपुर	15	6	0
23	बलौदाबाजार	109	21	1
24	धमतरी	62	14	1
25	गरियाबंद	36	10	0
26	महासमुंद	95	18	1
27	रायपुर	309	42	3
28	बलरामपुर	46	16	1
29	जशपुर	61	18	1
30	कोरिया	22	6	0
31	सरगुजा	78	20	2
32	सूरजपुर	56	15	3
33	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी	19	12	0
योग		**2200**	**521**	**41**

समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन

वर्तमान खरीफ वर्ष 2024–25 में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी दिनांक 14 नवम्बर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक किया गया। इस वर्ष धान का समर्थन मूल्य कॉमन धान के लिए 2300 रूपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए धान के लिए 2320 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु 27.67 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इस वर्ष, 2038 सहकारी समितियों के 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 31 जनवरी, 2025 की स्थिति में 149.25 लाख टन धान की खरीदी की गई। उपार्जन केन्द्रों से 74.27 लाख टन धान का उठाव मिलर्स द्वारा किया गया। कस्टम मिलिंग उपरांत 6.26 लाख टन चावल नागरिक आपूर्ति निगम में तथा 1.50 लाख टन चावल भारतीय खाद्य निगम में जमा किया गया, कुल 7.76 लाख टन चावल जमा किया गया है।

विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना

राज्य में विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना अप्रैल 2002 से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में किसानों से धान उपार्जन हेतु राज्य शासन की अधिकृत एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ तथा चावल उपार्जन हेतु अधिकृत एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन है। समर्थन मूल्य पर किसानों से उपार्जित धान से मिलिंग उपरांत सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यकतानुसार चावल का उपार्जन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। राज्य में अतिरिक्त उपार्जित चावल केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय किया जा रहा है। विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन से राज्य पीडीएस एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए चावल की आपूर्ति में आत्मनिर्भर हुआ है।

इस वर्ष समितियों से सीधे राईस मिलर्स को कस्टम मिलिंग हेतु 59.11 लाख टन धान का प्रदाय किया गया। इस अवधि तक खरीदी केन्द्रों से 17.95 लाख टन धान संग्रहण केन्द्रो को जारी किया गया है। वर्तमान खरीफ वर्ष 2024–25 में विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2025 तक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपार्जित चावल की जानकारी निम्नानुसार है–

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन	–	6,26,044 टन
भारतीय खाद्य निगम	–	1,50,728 टन
योग	–	**7,76,772 टन**

धान/चावल उपार्जन कार्य में पारदर्शिता हेतु कम्प्यूटरीकरण

खरीफ वर्ष 2007–08 में विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समुचित व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया तथा प्रत्येक वर्ष धान खरीदी के अनुभव से आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु इसमें नियमित सुधार किया गया । इस वर्ष भी राज्य के 2739 धान खरीदी केन्द्रों में राज्य के किसानों से कम्प्यूटर के माध्यम से धान खरीदी का कार्य किया गया।

वर्तमान खरीफ वर्ष 2024–25 में धान खरीदी व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु धान खरीदी केन्द्रों में धान विक्रय के लिए किसानों द्वारा स्वयं पंजीयन कराने की व्यवस्था की गई है । इस वर्ष कुल 27.67 लाख किसानों द्वारा समितियों के खरीदी केन्द्र में धान विक्रय हेतु अपना पंजीयन कराया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक समिति के अंतर्गत आने वाले किसानों के नाम, कुल भूमि रकबा, धान का अनुमानित उत्पादन एवं विक्रय हेतु अनुमानित धान की मात्रा आदि की जानकारी धान खरीदी प्रारंभ होने के पहले ही कम्प्यूटर के साफ्टवेयर में दर्ज कर ली गई ।

खरीदी केन्द्रों में ऑनलाईन धान खरीदी का कार्य वर्ष 2012–13 से प्रारंभ किया गया है। इस वर्ष संचालित 2739 धान खरीदी केन्द्रों में से इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता के आधार पर ऑनलाईन धान खरीदी की व्यवस्था की गई । राज्य सरकार के इस प्रयास से धान खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी की जानकारी तत्काल उपलब्ध हो रही है। किसानों को धान खरीदी का आनलाईन भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में पीएफएमएस के माध्यम से किया जा रहा है जिससे उन्हे उनकी उपज का पूरा एवं तत्काल भुगतान प्राप्त हो रहा है। शासकीय धान की कस्टम मिलिंग एवं कस्टम मिल्ड चावल के उपार्जन की समस्त प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत है, जिसके फलस्वरूप कस्टम मिलिंग के लिए प्रदाय धान एवं जमा हो रहे कस्टम मिल्ड चावल की जानकारी विभागीय वेबसाईट में ऑनलाईन उपलब्ध है।

बॉयोमेट्रिक आधारित धान खरीदी :–

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार द्वारा धान खरीदी कार्य में पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आधारित खाद्यान्न उपार्जन प्रक्रिया सभी राज्य में लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त निर्देश के तारतम्य में खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आधारित धान खरीदी व्यवस्था लागू की गई है। बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी हेतु किसान स्वयं या उसके द्वारा नामांकित एक नामिनी को खरीदी केन्द्र में उपस्थित होकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर धान विक्रय किए जाने का प्रावधान किया गया है।

किसान हेल्प लाईन नंबर :–

समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन से संबंधित किसानों को जानकारी, शिकायत एवं सुझाव के लिए राज्य शासन द्वारा किसान हेल्प लाईन नंबर 1800–233–3663 एवं 1967 प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस हेल्प लाईन नंबर 112 में भी धान विक्रय, भुगतान, बारदाना, टोकन आदि से संबंधित शिकायत एवं सुझाव दर्ज किए जा रहे हैं।

धनहा एप्प :–

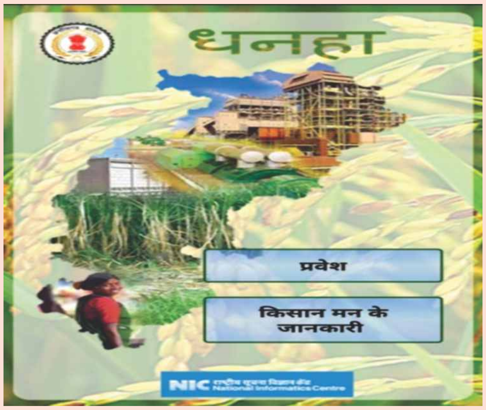

किसानों को धान उपार्जन से संबंधित जानकारी मोबाईल में देने के लिए विभाग द्वारा ''धनहा एप्प'' जारी किया गया है। किसान एंड्रायड मोबाईल में गूगल प्लेस्टोर से धनहा एप्प डाउनलोड कर धान विक्रय एवं भुगतान से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है।

ऑनलाईन ''टोकन तुंहर हाथ'' एप के माध्यम से टोकन की सुविधा :–

समर्थन मूल्य पर धान बेचने हेतु पंजीकृत किसानों को धान विक्रय के लिए घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। पंजीकृत किसानों को धान विक्रय हेतु टोकन जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं सुव्यवस्थित प्रबंधन के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा ''टोकन तुंहर हाथ'' एप विकसित किया गया है। ''टोकन तुंहर हाथ'' एप की सहायता से प्रत्येक पंजीकृत किसान संबंधित उपार्जन केन्द्र में स्वयं के द्वारा निर्धारित तिथि में धान विक्रय हेतु टोकन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गयी है।

इस एप के माध्यम से किसानों को धान उपार्जन समितियों के अंतर्गत दर्ज किसान संबंधी जानकारी यथा– किसान का पंजीकृत रकबा, बैंक खाता, टोकन एवं धान खरीदी आदि की नवीनतम जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। इस एप के उपयोग से पंजीकृत किसानों द्वारा संबंधित समिति उपार्जन या उपार्जन केन्द्रों में आगामी 7 दिवस तक टोकन प्राप्त किया जा सकता है। उक्त एप के उपयोग से समिति/उपार्जन केन्द्रों में धान बेचने में किसानों को सुविधा मिली है एवं किसानों को घर बैठे धान बेचने हेतु टोकन प्राप्त हो रहा है, उन्हें समिति, उपार्जन केन्द्रों में जाने की आवश्यकता नहीं हो रही है।

किसानों को धान विक्रय की राशि का त्वरित भुगतान :–

खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों के बैंक खाते में धान विक्रय की राशि का भुगतान 48 घण्टे की समयावधि में सुनिश्चित किए जाने हेतु राज्य शासन द्वारा कार्ययोजना निर्मित की गयी है। राज्य शासन के निर्देशानुसार अधिकृत उपार्जन एजेंसी छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. द्वारा छ.ग. अपैक्स बैंक अंतर्गत सहकारी बैंकों को आगामी खरीदी दिवस में अनुमानित खरीदी हेतु अग्रिम में राशि उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि किसानों को धान विक्रय की राशि का भुगतान सुगमता से हो सके।

विभागीय निगमों की गतिविधियां

(क) छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन लिमिटेड

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन द्वारा शासन के अभिकर्ता के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य संपादित किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त कार्पोरेशन द्वारा भारतीय खाद्य निगम के अभिकर्ता के रूप में चावल का उपार्जन तथा समर्थन मूल्य पर मक्का उपार्जन किया जाता हैं ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश के लिए खाद्यान्न, नमक एवं शक्कर का मासिक आबंटन कार्पोरेशन के द्वारा स्थापित किए गए प्रदाय केन्द्रों के माध्यम से उचित मूल्य दुकानों को उपलब्ध कराया जाता है । कार्पोरेशन के द्वारा 127 प्रदाय केन्द्र संचालित हैं । निगम द्वारा पीडीएस के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले शक्कर, अमृत नमक, चना एवं गुड़ का निविदा के माध्यम से उपार्जन किया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हितग्राही परिवारों तथा छात्रावास एवं कल्याणकारी योजना, मध्यान्ह भोजन योजना एवं पूरक पोषण आहार योजनांतर्गत खाद्यान्न के उठाव, परिवहन एवं खाद्यान्न उपलब्धता बनाए रखने में निगम की प्रमुख भूमिका है।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम

राज्यों में समुचित व्यवस्था करने, संसद में पारित वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट 1962 बना है, जिसके तहत् इस निगम की स्थापना 02 मई 2002 को हुआ है। यह छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्रीय भण्डारण निगम का संयुक्त उपक्रम है। वेयर हाऊसिंग अधिनियम में अधिसूचित कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक भण्डारण हेतु राज्य में गोदामों का निर्माण करना तथा भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराना इस निगम का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त इच्छुक कृषक/व्यापारी तथा अन्य के गोदामों में भण्डारित स्कंध के कीटोपचार की सुविधा भी छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रदान की जाती है।

छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम की उपलब्ध भण्डारण क्षमता का शासकीय/अर्द्धशासकीय, सहकारी संस्थाएँ, फर्टिलाइजर कम्पनियों के अलावा कृषक, व्यापारी भी उपयोग कर सकते है। निगम की शर्तों के तहत् लघु/सीमान्त श्रेणी के कृषकों को स्कंध भण्डारित करने पर भण्डारण शुल्क में 20 प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के कृषकों को भण्डारण शुल्क में विशेष 30 प्रतिशत अतिरिक्त छूट की पात्रता है।

राज्य भण्डार गृह निगम की राज्य में 139 शाखाऐं संचालित है। निगम की वर्तमान में स्वनिर्मित भण्डारण क्षमता 24,41,856 मे.टन है एवं इसके अतिरिक्त 1,95,720 मे.टन क्षमता के गोदाम निर्माणाधीन है। निगम स्वयं की क्षमता के अतिरिक्त वैज्ञानिक भण्डारण हेतु निजी/अन्य संस्थाओं के उपयुक्त गोदामों को किराये पर लेकर जमाकर्ता की मांग अनुसार भण्डारण करता है। वर्तमान में निगम के आधिपत्य में किराये की भण्डारण क्षमता 2,14,404 मे.टन है। जिससे निगम द्वारा राज्य में कुल 26,56,260 मे. टन क्षमता में भण्डारण कार्य किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त राज्य में बढ़ते धान की खरीदी के कारण खाद्यान्न भण्डारण को युक्तियुक्त करने हेतु राज्य भण्डार गृह निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम के मांग अनुसार 20 स्थानों पर 10,30,000 मे. टन क्षमता तथा छ०ग० स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के आवश्यकतानुसार 5,00,000 मे. टन क्षमता के अतिरिक्त गोदाम निर्माण करवाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। गोदाम निर्माण के अतिरिक्त निगम में 210 इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा (60 मे. टन क्षमता की संख्या 147 एवं 80 मे. टन क्षमता की संख्या 63 कुल 210 धर्मकांटे) की स्थापना की गई है एवं 80 मे. टन के 10 नये धर्मकांटे स्थापित किये जा रहे है। वर्तमान में निगम की समस्त शाखाओं में ऑनलाईन पद्धति से कार्य किया जा रहा है।

आर्थिक स्थिति–वित्तीय वर्ष 2023–24 में लाभ 88.64 करोड़ अर्जित किया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ता अधिकार

उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण का प्रमुख दायित्व राज्य का है क्योंकि राज्य से यह अपेक्षा होती है कि वह राज्य के नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करें। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता हितों के उचित संरक्षण एवं उपभोक्ता विवादों के त्वरित निराकरण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 प्रभावशील किया गया। यह अधिनियम संपूर्ण राष्ट्र में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण का मुख्य आधार है, जिसकी अधिकारिता के अंतर्गत देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से लेकर महानगरों में निवासरत उपभोक्ता स्वयं को अधिकार संपन्न महसूस करता है।

उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने का स्थान

जिला उपभोक्ता आयोग :– 50 लाख रूपए मूल्य तक के प्रकरण पंजीबद्व होते हैं।
राज्य आयोगः– 50 लाख रूपए से अधिक किन्तु 2 करोड़ रूपए मूल्य तक के प्रकरण पंजीबद्व होते हैं।

ऑनलाईन शिकायत दर्ज करने हेतु ''ई–दाखिल''–

राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला आयोग में इलेक्ट्रानिक रूप से ऑनलाईन शिकायत दर्ज कराने हेतु उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी ''ई–दाखिल'' पोर्टल का शुभारंभ राज्य में 24 दिसंबर, 2020 से किया गया है। उपभोक्ता ई–दाखिल पोर्टल के लिंक www.confonet.nic.in पर जाकर अपनी शिकायत ऑनलाईन दर्ज कर सकते है।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की संरचना

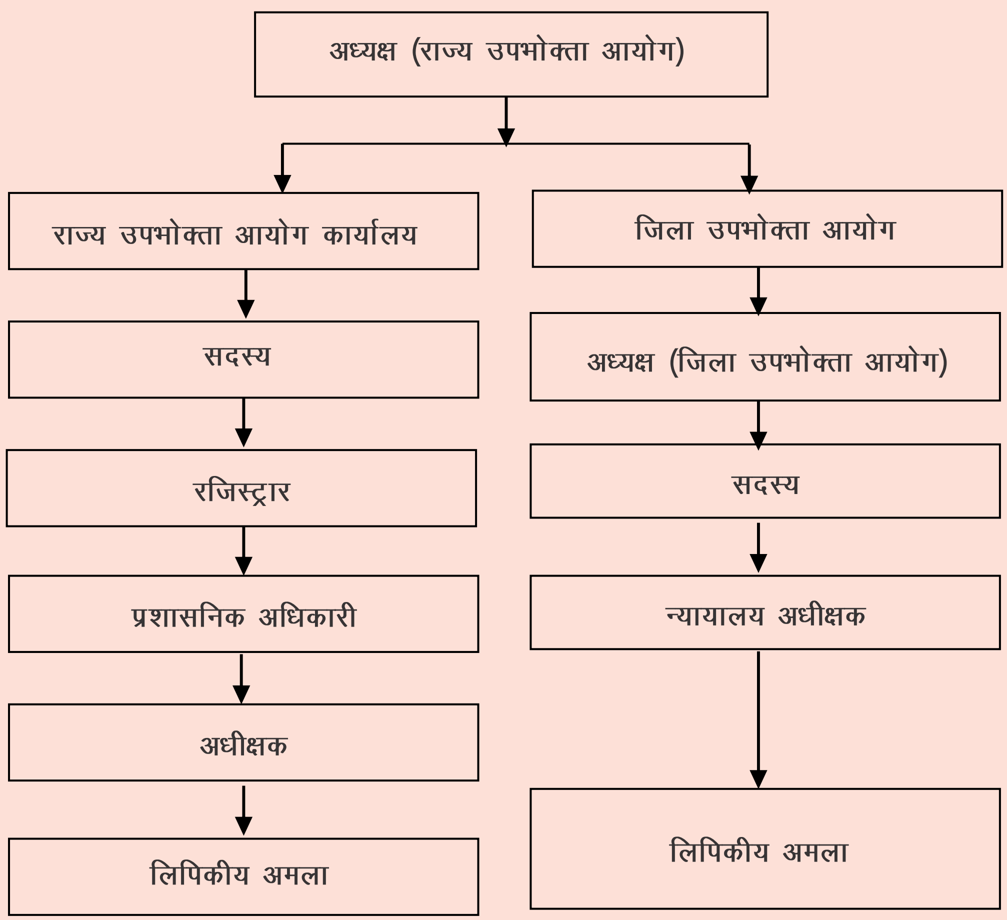

समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निराकरण हेतु त्रि–स्तरीय उपभोक्ता न्यायालयों की व्यवस्था है, जिसके लिए राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार सेटअप स्वीकृत किया गया है –

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	अध्यक्ष	01	01	0
2	सदस्य	04	01	3
3	रजिस्ट्रार	01	01	0
4	संयुक्त रजिस्ट्रार	01	01	0
5	द्वितीय श्रेणी पद	03	02	1
6	तृतीय श्रेणी पद	25	20	5
7	चतुर्थ श्रेणी पद	17	10	7
योग		**52**	**36**	**16**

छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत 27 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

(17 पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता आयोग एवं उनके साथ सम्बद्धता प्राप्त 10 जिला उपभोक्ता आयोग)

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	अध्यक्ष	23	10	13
2	सदस्य	54	36	18
3	तृतीय श्रेणी पद	124	65	59
4	चतुर्थ श्रेणी पद	135	99	36
योग		**336**	**210**	**126**

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 28 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में कम से कम एक जिला उपभोक्ता आयोग का गठन किया जाना प्रावधानित किया गया है। प्रदेश के 27 जिलों में जिला उपभोक्ता आयोग का गठन है, जिसमें से 16 जिलों में पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता आयोग क्रमशः रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, राजनांदगांव, रायगढ़, सरगुजा, कोरिया, कोरबा, कबीरधाम, धमतरी, जांजगीर–चांपा, बालोद, बलौदाबाजार, महासमुंद एवं कांकेर में पूर्णकालिक क्रियाशील है तथा पूर्णकालिक 01 जिला उपभोक्ता आयोग, बेमेतरा को क्रियाशील बनाए जाने की कार्यवाही प्रचलित है। अंशकालिक जिला उपभोक्ता आयोग क्रमशः जशपुर, मुंगेली, गरियाबंद, सूरजपुर एवं दंतेवाड़ा कार्यरत है तथा शेष 06 जिलों क्रमशः कोण्डागांव, सुकमा, बलरामपुर, नारायणपुर एवं बीजापुर में जिला उपभोक्ता आयोग की कार्यवाही प्रारंभ किए जाने की कार्यवाही शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

छ.ग. राज्य उपभोक्ता आयोग के अधीनस्थ कार्यशील जिला उपभोक्ता आयोगों में पंजीबद्ध एवं निराकृत प्रकरणों की संख्या दिनांक 30.12.2024 की स्थिति में निम्नानुसार है–

प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	लंबित प्रकरण
74012	66703	7309

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिला उपभोक्ता आयोग का आर्थिक क्षेत्राधिकार 50 लाख रूपये तक होता है, राज्य उपभोक्ता आयोग में 50 लाख से अधिक 02 करोड़ रूपये तक का क्षेत्राधिकार है तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का क्षेत्राधिकार 02 करोड़ रूपये तक का क्षेत्राधिकार है तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ–साथ क्रमशः अपीलीय एवं पुनरीक्षण का क्षेत्राधिकार भी होता है। राज्य उपभोक्ता आयोग एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ–साथ क्रमशः अपीलीय एवं पुनरीक्षण का क्षेत्राधिकार भी होता है। जिला आयोग में निराकृत प्रकरणों के विरूद्ध अपील एवं पुनरीक्षण राज्य आयोग में प्रस्तुत होती है एवं राज्य आयोग के निराकृत प्रकरणों के विरूद्ध अपील एवं पुनरीक्षण माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत होता है।

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर का गठन दिनांक 01.11.2002 को किया गया है। इसका मुख्य कार्य जिला आयोग के निर्णयों के विरूद्ध आने वाली अपीलों/रिविजन की सुनवाई तथा रूपये 50 लाख से अधिक एवं 2 करोड़ तक की शिकायतों की सुनवाई करना है। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग में सुनवाई हेतु 01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य के पद स्वीकृत है। वर्तमान में 1 अध्यक्ष एवं 01 सदस्य कार्यरत है। मुख्य पीठ रायपुर एवं श्रृंखला पीठ बिलासपुर में कार्यरत है।

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में पंजीबद्ध एवं निराकृत प्रकरणो की संख्या (दिनांक 01.11.2002 से 31.12.2024 तक) निम्नानुसार है –

प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	लंबित प्रकरण
17983	17639	344

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग

जनसामान्य को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए भारत शासन, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अध्याय 7 में अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 का क्रियान्वयन एवं इसमें प्रावधानित सभी

पात्रताओं का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करने की निगरानी एवं समीक्षा तथा राज्य में पीडीएस की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का गठन मार्च, 2017 में किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग में अध्यक्ष सहित 5 अन्य सदस्य के पद स्वीकृत है। आयोग का मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर में है।

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग की संरचना

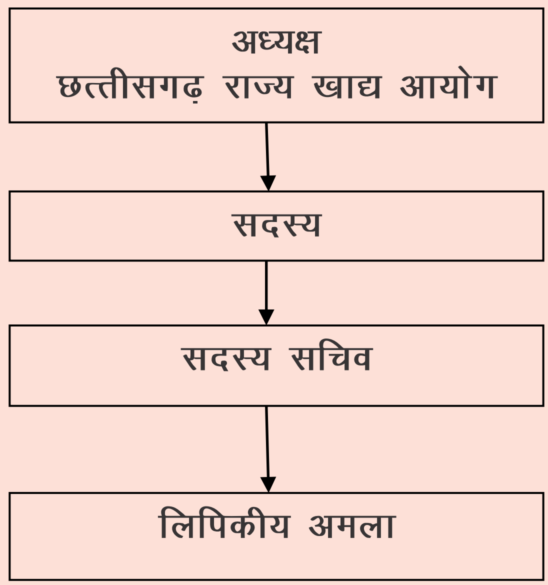

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के लिए राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार सेट–अप स्वीकृत किया गया है –

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद
1	अध्यक्ष	1
2	सदस्य	5
3	सदस्य सचिव	1
4	तृतीय श्रेणी पद	12
5	चतुर्थ श्रेणी पद	13
	योग	**32**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्रताओं के क्रियान्वयन की निगरानी एवं शिकायत तथा सुझाव ऑनलाईन दर्ज करने हेतु 18 नवंबर 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग की वेबसाईट का शुभारंभ किया गया। राज्य खाद्य आयोग के वेबसाईट में वित्तीय वर्ष 2024–25 में अप्रैल 2024 से दिसम्बर 2024 तक कुल 539 शिकायत प्राप्त हुई है, जिनमें से 358 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है।

आयोग का कार्यकाल एवं कार्य दिवस

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का कार्यालय अटल नगर, नवा रायपुर सेक्टर 17 स्थित डी 02–9/10 में संचालित है। आयोग का कार्य दिवस राज्य सरकार के कार्य दिवस अनुसार है।

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के कार्य

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का मुख्य कार्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा करना है। उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त राज्य खाद्य आयोग के निम्नलिखित कार्य है–

1. राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अनुसूची–एक में उल्लेखित पात्रता के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं मूल्यांकन करना।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन उपबंधित हकदारियों के उल्लंघनों की स्वप्रेरणा से या शिकायत प्राप्त होने पर जॉच करना।
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना।
4. हितग्राहियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम में विनिर्दिष्ट पात्रताओं तक पूर्ण पहुंच बनाने के लिए समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार, सुसंगत सेवाओं के परिदान में अंतर्वलित अभिकरणों, स्वायत्त निकायों और गैर सरकारी संगठनों को सलाह देना।
5. जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरूद्व अपीलों की सुनवाई करना।

राज्य खाद्य आयोग हेतु एक अध्यक्ष एवं पांच सदस्यों के पद स्वीकृत है वर्तमान में पांच सदस्यों में से तीन सदस्य कार्यरत है। सदस्य श्री विमल सुराना एवं श्री हरिश परसाई की 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने के कारण सदस्य के दो पद रिक्त है।

नियंत्रक विधिक मापविज्ञान कार्यालय एवं गतिविधियां

(क) नियंत्रक विधिक मापविज्ञान कार्यालय की संरचना एवं मुख्य उद्देश्य

विधिक मापविज्ञान कार्यालय का मुख्य उद्‌देश्य राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित बांट माप नियमों का परिपालन सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत विभाग विभिन्न स्तरों पर बांट–माप के मानकों का संधारण कर व्यापार और वाणिज्य में उपयोग में लाये जाने वाले बांट माप तथा तौल यंत्रो की प्रमाणिकता को सुनिश्चित कर उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान करता है ।

बाजार में कय विकय और विनिमय के दौरान वस्तुओं का सही मात्रा में परिदाय हो यह देखना भी विभाग का मुख्य कार्य है । इसके अतिरिक्त बाजार का सतत् निरीक्षण कर नाप तौल नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के विरूद्व अभियोजन प्रकरण दर्ज किये जाते हैं ।

आगामी दिनों में विभाग द्वारा अपनी प्रयोगशालाओं का उन्नयन कर उनका आधुनिकीकरण किये जाने की योजना है। दूरस्थ एवं अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकाधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग एवं जागरूक बनाने का प्रयास भी विभाग द्वारा किया जावेगा जिससे उन्हें शोषण से बचाया जा सके। दुर्गम क्षेत्रों में अधिकाधिक पुनः सत्यापन शिविरों का आयोजन करने की योजना विभाग द्वारा तैयार की जा रही है जिससे उपभोक्ता हितों की रक्षा कर विभागीय राजस्व को बढ़ाया जा सके।

नियंत्रक विधिक मापविज्ञान कार्यालय की संरचना

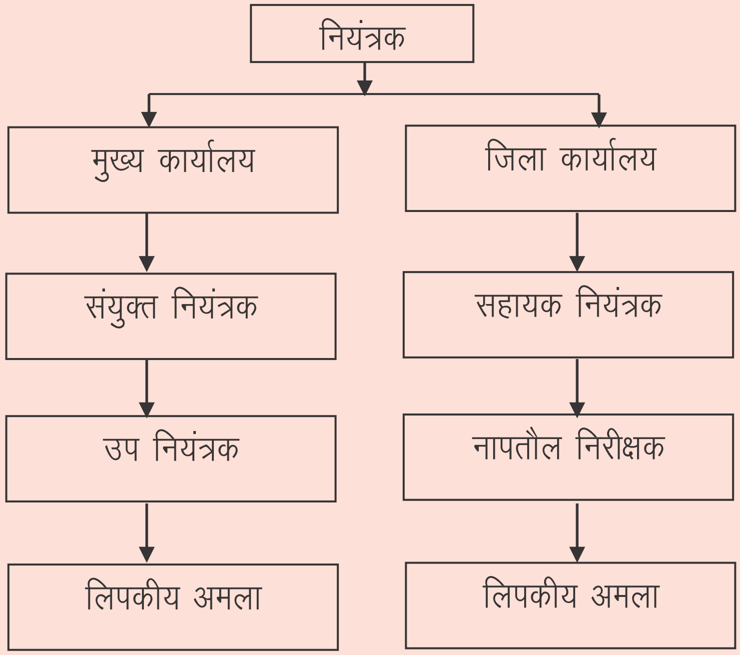

राज्य में विधिक माप विज्ञान कार्यालय हेतु कुल 190 अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अमला स्वीकृत किया गया है, जिनमें प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के 03 पद, द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के 06 पद एवं तृतीय श्रेणी के 119 एवं चतुर्थ श्रेणी के 62 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरूद्ध सभी संवर्ग के 113 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है। सभी संवर्गो में स्वीकृत पदों की स्थिति निम्नानुसार है :–

कार्यरत अमले की जानकारी

क्र.	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	प्रथम	3
2	द्वितीय	6
3	तृतीय	119
4	चतुर्थ	62
योग		**190**

विधिक मापविज्ञान विभाग के अंतर्गत राज्यभर में कुल 38 कार्यालय संचालित हैं। नियंत्रक विधिक मापविज्ञान विभाग प्रमुख हैं, जिनका कार्यालय इन्द्रावती भवन तथा 06 संभागों में क्रमशः रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायगढ़ तथा अंबिकापुर संभागीय कार्यालय स्थापित हैं, जिनमें सहायक नियंत्रक विधिक मापविज्ञान पदस्थ है। इसके अलावा 44 निरीक्षक के कार्यालय स्थानीय सीमाओं के लिए अधिकृत हैं।

राज्य में नाप–तौल से संबंधित कुल 42 निर्माता तथा 300 विक्रेता पंजीकृत है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 10 नवीन अनुज्ञप्तियां तथा 32,664 सत्यापन प्रमाण–पत्र जारी की गई है। राज्य में कुल 1,616 पैकर पंजीकृत है।

नाप–तौल से संबंधित तथा सत्यापित उपकरणों की संख्या निम्नानुसार है–

कुल विनिर्माता	विक्रेता	सुधारक	पैकर पंजीयन
42	300	211	1616

सत्यापित उपकरणों की संख्या

फ्यूल डिसपेंसर	गैर स्वचालित तौल उपकरण	वेब्रिज (धर्मकांटा)	अन्य बांट–माप
4881	14644	3096	11440

शिकायतों का निराकरण (NCH)–

राज्य के उपभोक्ताओं को सही कीमत तथा मात्रा सुनिश्चित करने विभाग प्रतिबद्ध है। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का निराकरण नियमानुसार किया जाता है। वर्ष 2017 से अब तक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के माध्यम से कुल 766 शिकायत प्राप्त हुये है, जिनमें से 747 आवेदनों का निराकरण करते हुए 90 शिकायतों में अब तक लगभग 4,55,500 राजीनामा राशि प्राप्त की गई है।

Ease of Doing Business (EODB/BRAP) के अंतर्गत किये गये कार्य –

ई–मापविज्ञान पोर्टल के माध्यम से विभाग की सभी सेवायें जैसे माप–तौल उपकरणों का सत्यापन तथा पुर्नसत्यापन, माप–तौल उपकरणों के निर्माता, विक्रेता एवं सुधारक अनुज्ञप्तियों को जारी करना तथा उनका नवीनीकरण, पैकर्स पंजीयन इत्यादि सभी विभागीय प्रतिवेदन ऑनलाईन के माध्यम से सुविधायें उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत अब तक कुल 1,74,074 आवेदन प्राप्त हुये है।

इस वर्ष Business Reform Action Plan के अंतर्गत अनुज्ञप्ति आवेदन प्रारूप को सुव्यस्थित एवं सरलीकरण किया गया है तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सभी सुविधायें 15 दिवसों के भीतर प्रदान किया जा रहा है। आवेदकों को उनकी आवेदन की स्थिति SMS के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है तथा सत्यापन का प्रमाण–पत्र आवेदक द्वारा स्वयं डाउनलोड कर प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।

विभागीय आय एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभाग को कुल 1067.61 लाख रूपये का बजट आयोजनेत्तर मद में स्वीकृत किया गया है, इसके विरूद्व अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक की अवधि में विभाग द्वारा कुल रूपये 607.05 लाख का व्यय किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

विभाग में सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत समस्त अनुदेशों का पालन प्रांरभ किया जा चुका है जिसके अंतर्गत सूचना प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार उन्हें अभिलेखों की प्रतिलिपियां/जानकारियां प्रदान की जाती हैं। विभाग, संचालनालय एवं जिला स्तर पर नियुक्त सहायक जनसूचना अधिकारी, जनसूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी की जानकारी निम्नानुसार है :–

विभाग–स्तर पर

सहायक जनसूचना अधिकारी	जन सूचना अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
अनुभाग अधिकारी छ.ग.शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग	अवर सचिव छ.ग.शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग	उप सचिव छ.ग.शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.विभाग

संचालनालय स्तर पर

सहायक जनसूचना अधिकारी	जन सूचना अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
सहायक खाद्य अधिकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. रायपुर	सहायक संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. रायपुर	अपर संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

जिला स्तर पर

सहायक जनसूचना अधिकारी	जन सूचना अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
खाद्य निरीक्षक	सहायक खाद्य अधिकारी	खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी

लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय–सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहीत अधिकारी सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का विवरण निम्नानुसार है :–

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

क्र	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा	सेवा प्रदाय करने वाले लोक प्राधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा)	नियंत्रण आदेश के तहत व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति की स्वीकृति	30 दिवस	खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
2	कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा)	अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	30 दिवस	खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
3	कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा)	उचित मूल्य दुकान का आबंटन (जिला मुख्यालय पर)	30 दिवस	खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
4	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)	उचित मूल्य दुकान का आबंटन (जिला मुख्यालय के अतिरिक्त)	30 दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
5	कार्यालय नगरीय निकाय	चिन्हांकित अन्त्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत जारी राशनकार्ड हेतु (शहरी क्षेत्र)	30 दिवस	नगरीय निकाय आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
6	कार्यालय ग्राम पंचायत	चिन्हांकित अन्त्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत जारी राशनकार्ड हेतु (ग्रामीण क्षेत्र)	30 दिवस	सचिव, ग्राम पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व

क्र	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा	सेवा प्रदाय करने वाले लोक प्राधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
7	कार्यालय नगरीय निकाय	चिन्हांकित अन्त्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत जारी राशनकार्ड में सदस्य जोड़ने/सदस्य विलोपित/अंतरित करने (शहरी क्षेत्र)	30 दिवस	नगरीय निकाय आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	नगरीय निकाय के आयुक्त/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
8	कार्यालय ग्राम पंचायत	चिन्हांकित अन्त्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत जारी राशनकार्ड में सदस्य जोड़ने/सदस्य विलोपित/अंतरित करने (ग्रामीण क्षेत्र)	30 दिवस	सचिव, ग्राम पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व

जिला कार्यालयों में लोक सेवा गांरटी अधिनियम, 2011 के तहत प्रदत्त सेवाओं में अप्रैल 2024 से दिसंबर, 2024 तक कुल 6,74,609 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों में से 6,73,764 आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है।

विधिक माप विज्ञान विभाग

क्र	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा	सेवा प्रदाय करने वाले लोक प्राधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	कार्यालय नियंत्रक, नाप–तौल, छ.ग. रायपुर	नाप–तौल उपकरणों का मूल मुद्रांकन एवं सत्यापन	15 कार्य दिवस	निरीक्षक नाप–तौल	सहायक/उप – नियंत्रक, नाप–तौल छ0ग0	नियंत्रक, नाप–तौल
2	कार्यालय नियंत्रक, नाप–तौल, छ.ग. रायपुर	नवीन अनुज्ञप्ति (सेंपल टेस्ट,पास करना) निर्माता अनुज्ञप्ति	45 कार्य दिवस	सहायक/ उप–नियंत्रक, नाप–तौल छ0ग0	नियंत्रक, नाप–तौल	सचिव, खाद्य
3	कार्यालय नियंत्रक, नाप–तौल, छ.ग. रायपुर	विक्रेता अनुज्ञप्ति का प्रदाय (भारी एवं इलेक्ट्रानिक उपकरण)	30 कार्य दिवस	सहायक/ उप–नियंत्रक, नाप–तौल छ0ग0	नियंत्रक, नाप–तौल	सचिव, खाद्य
4	कार्यालय नियंत्रक, नाप–तौल, छ.ग. रायपुर	विक्रेता अनुज्ञप्ति का प्रदाय (छोटे उपकरण)	30 कार्य दिवस	सहायक/ उप–नियंत्रक, नाप–तौल छ0ग0	नियंत्रक, नाप–तौल छ0ग0	सचिव, खाद्य
5	कार्यालय नियंत्रक, नाप–तौल, छ.ग. रायपुर	सुधारक अनुज्ञप्तियों का प्रदाय (भारी उपकरण)	30 कार्य दिवस	सहायक/ उप–नियंत्रक, नाप–तौल छ0ग0	नियंत्रक, नाप–तौल	सचिव, खाद्य
6	कार्यालय नियंत्रक, नाप–तौल, छ.ग. रायपुर	सुधारक अनुज्ञप्तियों का प्रदाय (छोटे उपकरण)	30 कार्य दिवस	सहायक/ उप–नियंत्रक, नाप–तौल छ0ग0	नियंत्रक, नाप–तौल छ0ग0	सचिव, खाद्य
7	कार्यालय नियंत्रक, नाप–तौल, छ.ग. रायपुर	अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण	20 कार्य दिवस	सहायक/ उप–नियंत्रक, नाप–तौल छ0ग0	नियंत्रक, नाप–तौल छ0ग0	सचिव, खाद्य

विधिक माप विज्ञान के कार्यालयों में लोकसेवा गांरटी अधिनियम, 2011 के तहत प्रदत्त सेवाओं में दिसंबर 2024 तक कुल 27,432 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों में से 26,305 आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है।

विभागीय बजट

केन्द्र शासन एवं राज्य शासन से विशेष कार्यों के लिए प्राप्त राशियां आयोजना मद में स्वीकृत होती है। वर्ष 2024–25 के लिए बजट में निम्नानुसार राशि प्रावधानित है–

(राशि करोड़ में)

क्र.	**योजना का नाम**	**बजट**	**दिसंबर, 2024 तक व्यय**	**व्यय का प्रतिशत**
1	योजना कमांक 1471–जिला कार्यालय	38.38	23.99	63%
2	योजना कमांक 3537–मुख्य कार्यालय	5.00	2.96	59%
3	योजना कमांक 629–उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ	43.40	16.75	39%
4	योजना कमांक 7810–छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग	1.22	0.55	45%
5	योजना कमांक 6797–उपभोक्ताओं के जागरूकता हेतु वित्तीय सहायता **(केन्द्र क्षेत्रीय योजना)**	0.0001	0.00	0%
6	योजना कमांक 7810–छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग **(केन्द्र क्षेत्रीय योजना)**	0.0001	0.00	0%
7	योजना कमांक 7882–प्राइस मानिटरिंग सेल **(केन्द्र क्षेत्रीय योजना)**	0.0001	0.00	0%
8	योजना कमांक 8919–सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	7.75	0.16	2%
9	योजना कमांक 6964–सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु सहायता **(केन्द्र प्रवर्तित योजना)**	0.0001	0	0%
10	योजना कमांक 7872–पीडीएस डीलर का मार्जिन **(राज्य योजना)**	143.00	92.94	65%
11	योजना कमांक 7083–एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों के अंतर्राज्जीय प्रचालन एवं एफपीएस डीलर्स को मार्जिन हेतु राज्य एजेंसियों को सहायता **(केन्द्र प्रवर्तित योजना)**	234.00	149	64%
12	योजना कमांक 7024–स्मार्ट पीडीएस योजना **(केन्द्र प्रवर्तित योजना)**	1.97	0.26	13%
13	योजना कमांक 7078–उपभोक्ता कल्याण अंशदान (कार्पस) फंड **(केन्द्र प्रवर्तित योजना)**	20.00	0	0%
14	योजना कमांक 3229–नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	100.00	0	0%
15	योजना कमांक 3248–राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	800.00	800	100%
16	योजना कमांक 5456–अंत्योदय अन्न योजना	10.00	0	0%

क्र.	योजना का नाम	बजट	दिसंबर, 2024 तक व्यय	व्यय का प्रतिशत
17	योजना कमांक 6401—राईस फोर्टिफिकेशन **(राज्य योजना)**	100.00	0	0%
18	योजना कमांक 6401—राईस फोर्टिफिकेशन **(केन्द्र क्षेत्रीय योजना)**	109.23	0	0%
19	योजना कमांक 6839—मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	3400.00	3092	91%
20	योजना कमांक 6964—सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु सहायता **(राज्य आयोजना)**	1.06	0.02	1%
21	योजना कमांक 7436—अन्त्योदय अन्न योजनांतर्गत चना का प्रदाय	400.00	0	0%
22	योजना कमांक 7800—प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	0.0003	0	0%
23	योजना कमांक 7894—उचित मूल्य दुकानों को वित्तीय पोषण	85.00	0	0%
24	योजना कमांक 7994—गुड वितरण योजना	81.00	0	0%
25	योजना कमांक 7906—त्योहार/मेलों हेतु दाल—भात केन्द्रों का संचालन	0.48	0.48	100%
26	योजना कमांक 8674—राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति	600.00	0	0%
27	योजना कमांक 8933—शक्कर वितरण योजना	150.00	31.72	21%
28	योजना कमांक 9993—रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान	139.00	0	0%
29	योजना कमांक 7801—मूल्य स्थरीकरण निधि योजना **(केन्द्र प्रवर्तित योजना)**	0.0006	0	0%
30	योजना कमांक 1471—जिला कार्यालय (वाहन कय)	0.30	0	0%
31	योजना कमांक 629—उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ (वाहन कय)	0.83	0	0%
32	योजना कमांक 6914—पहुंचविहीन क्षेत्रों हेतु वर्षाऋतु में खाद्यान्न भंडारण हेतु सहायता	2.50	0	0%
33	योजना कमांक 8545—नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	30.00	0	0%
योग		**6504.12**	**4210.95**	**65%**

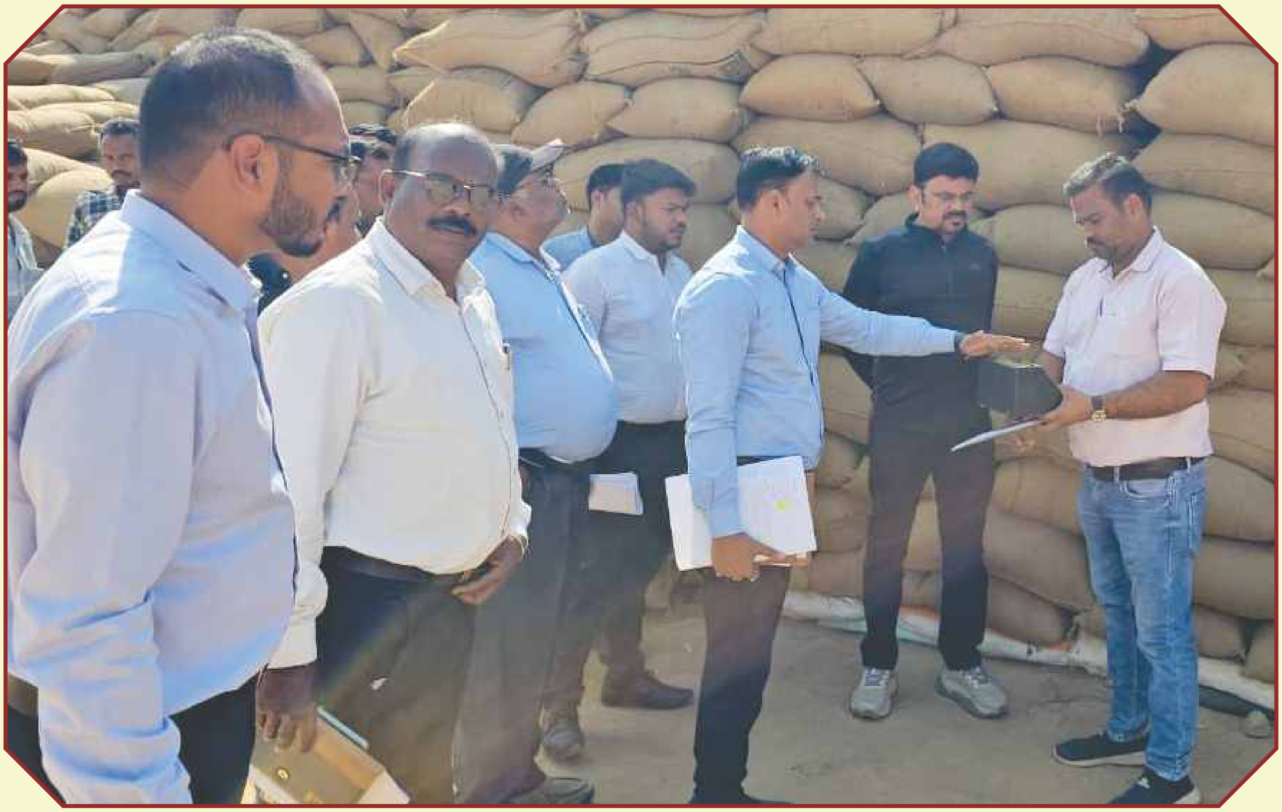

दिसंबर 2028 तक
गरीब परिवारों को नि:शुल्क
खाद्यान्न वितरण
प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण
अन्न योजना